

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016

Email Id :- ap6@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्रांक:

/वा0नि0ई00-6/भूखण्ड/आवास विकास दिनांक:- / /2021

**उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र
(ब्लॉक-2 हेतु)**

वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित गुरुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-11/जी0एच0-08 पर निर्मित बहुखण्डीय आवासीय भवन के मानचित्र कार्यालय के पत्रांक-377 दिनांक 12-02-2014 द्वारा निर्गत है। तत्क्रम में अधि0अभि0,नि0ख0-02 के पत्रांक-537 दिनांक 03-03-2021 द्वारा मानचित्रों के स्वीकृति के अनुसार स्थल सत्यापन कर चैकलिस्ट में आख्या, प्रपत्र-ब सहित वांछित प्रपत्र/एन0ओ0सी कार्यालय में प्रेषित किये गये हैं। प्रकरण के परीक्षणोपरांत स्टेटस पेपर 15.0 मी0 से ऊँचे भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 04-06-2021 प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा गुरुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-11/जी0एच0-08 पर निर्मित बहुखण्डीय आवासीय भवन के ब्लॉक-2 (ब्लॉक-A) का आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

1. अधि0अभि0नि0ख0-02 के पत्रांक-537 दिनांक 03-03-2021 द्वारा स्थल पर निर्माण पूर्व स्वीकृत मानचित्रों पर सत्यापित कर प्रेषित किया गया है। यदि भविष्य में भूखण्ड/इकाईयों हेतु इसके अतिरिक्त कोई विचलन/विभाजन अनुमन्य नहीं होगा, ऐसा पाए जाने पर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्मित बहुखण्डीय भवनों के स्थल सत्यापन उपरान्त आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी स्टेटस पेपर एवं मानचित्र उच्च स्तरीय समिति की बैठक के द्वारा अनुमोदित है।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-यू0पी0एफ0एस0/2020/24938/ एन0सी0के0/लखनऊ /1576 / सी0एफ0ओ0 दिनांक 30-11-2020 के द्वारा पूर्णता हेतु जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गत है। जिसमें अंकित शर्तों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान होने के सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय की पुष्टि पत्रांक-537 दिनांक 03-03-2021 के द्वारा की गयी है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का स्थल पर संचालन/क्रियान्वयन भविष्य में यथावत सुनिश्चित करना होगा।
5. विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण, पर्यावरण, ए0टी0सी0, अग्निशमन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से निर्गत एन0ओ0सी0 की शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा।

प्रश्नगत निर्माण के सापेक्ष उप श्रम आयुक्त, लखनऊ के पत्रांक-डी28000153 दिनांक 20-10-2014 के द्वारा लेबर लेस विभाग में पंजीकरण कराया गया है। यदि भविष्य में उपकर विभाग द्वारा मूल्यांकन कर कोई देयता सूचित की जाती है तो इससे संबंधित द्वारा स्वयं जमा करते हुए कार्यालय को सूचित किया जाना होगा।

आवंटन की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वयन, निर्माण/विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन आवंटी/सम्बन्धित सम्पत्ति के स्वामी द्वारा करना होगा।

शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।

यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन/सम्पत्ति में हो रहे क्रियान्वयन से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रिया-कलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा परिषद के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

शेष नियम/शर्तें पूर्व में निर्गत स्वीकृति पत्र के अनुसार यथावत रहेंगी, जिनका अनुपालन/क्रियान्वयन प्रत्येक दशा में किया जाना होगा।

नक:-उपरोक्तानुसार।

अनुमोदित कम्पलीशन व मानचित्र 01 सेट (०७ सग)

कम्पलीशन संबंधी प्रपत्रों का 01 सेट

(विकास कुमार)

वास्तुविद नियोजक/ विशेष कार्याधिकारी

सं० 1283 / उक्त / दिनांक 17/06/2021

लिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-02, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ को उनके पत्रांक-537 दिनांक 03-03-2021 के क्रम में।

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय-वृन्दावन योजना, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

उप श्रम आयुक्त, श्रम कार्यालय, ए0पी0 सेन रोड, लखनऊ को बिन्दु सं०-6 के क्रम में।

मैसर्स एजियागाया डेवलपमेन्ट, प्रा०लि० द्वारा श्री अनिरुद्ध सिंह, डायरेक्टर, बी-1/87, विनीत खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ।